वाणिज्य अ.ज.–694

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अः–II/2017–18/प्रे 2413 दिः 9-10-17

आदेश

विषयः– कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द/खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आकलन के सम्बन्ध में।

पूर्व में आदेश क्रमांक 2680 दिनांक 17.08.2012 (वाणिज्य अ.ज.– 492) द्वारा सभी मीटर्ड श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं के मीटर बन्द/खराब होने पर इस अवधि की बिलिंग फ्लैट रेट से किये जाने पर विद्युत उपभोग यूनिटों के आकलन के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, परन्तु विगत सालों में वर्षा ऋतु चक्र में हुये परिवर्तन को देखते हुये कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द/खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आकलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ब्लॉक आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिये बिलिंग माह अप्रेल से अगस्त तक कृषि श्रेणी के फ्लैट रेट हेतु निर्धारित 1945 यूनिट प्रति किलोवाट वार्षिक अनुसार मीटर खराब/बन्द रहने की 153 दिनों की अवधि के लिए 31.30 प्रतिशत अर्थात् 609 यूनिट के अनुरूप 3.98 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन एवं बिलिंग माह सितम्बर से मार्च तक रबी के दौरान कृषि श्रेणी के फ्लैट रेट खराब/बन्द रहने के 212 दिनों की अवधि के लिए 68.70 प्रतिशत अर्थात् 1336 यूनिट के अनुरूप 6.30 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन आकलित करें। इस प्रकार की गई गणना पूरे वर्ष के लिए 1945 यूनिट प्रतिवर्ष के अनुरूप ही की जावें।
2. इसी प्रकार ब्लॉक से अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों में कृषि श्रेणी के लिए बिलिंग माह अप्रेल से अगस्त तक 8 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिदिन व बिलिंग माह सितम्बर से मार्च तक 12 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिदिन मीटरं खराब/बन्द रहने की अवधि के लिए आकलित करें।
3. निगम मुख्यालय पर राजस्व सम्बन्धी मुख्य लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा खराब/बन्द मीटरों की ऊर्जा खपत की गणना उपरोक्ता अनुसार ही की जावे व बिलिंग हेतु चार्ज की जाने वाली राशि विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी के फ्लैट रेट हेतु निर्धारित दरों के अनुसार ही हो।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से

9.10.17

(एस. एस. मीना)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

अविविनिलि, अजमेर